तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह की ता
	24/7/19 [illegible] पधारे [illegible] को [illegible] हो। 30/7/19	
30/7/19	आज प्रार्थी ने अन्तरिम जमानत पर बाद Proceed निस्तारण आदेश करने की प्रार्थना की। अग्रिम पत्रावली बाद निस्तारण के खारिज की जाकर प्रकरण फौजदारी अपील संख्या में रखे जाने हेतु दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।	

NOT Proceed
सुनील कुमार
PJ

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (टोंक)